

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 5/2024

दायर दिनांक : 06/02/2024

निर्णय दिनांक : 30/05/2024

उनवान

1. वेणीराम पिता छोगालाल जाट निवासी जावा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. भगवानलाल पिता डालू जाट निवासी जावा तहसील भूपालसागर
2. भैरूलाल पिता मोड़ा जाट निवासी जावा तहसील भूपालसागर
3. मोहनी पत्नी छगना जाट निवासी जावा तहसील भूपालसागर
4. गणेश पिता छगना जाट निवासी जावा तहसील भूपालसागर
5. मांगीलाल पिता सूरजमल जाट निवासी जावा तहसील भूपालसागर
6. नारायण पिता प्रताप जाट निवासी जावा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थी सं. 2 ने उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत किया, शेष अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थी रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **ग्राम जावा के खाता सं. 77 की आ.सं. 154 रकबा 1.41 है, आ.सं. 161 रकबा 010 है, किता 2 रकबा 1.51 है**, भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुरखा पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहसीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर